अनुक्रमांक/Roll No.			

# MADHYA PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICES (LIMITED COMPETITIVE EXAM-2024)

Total No. of Questions:

100

No. of Printed Pages:

52

कुल प्रश्नों की संख्या :

100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :

52

## प्रथम प्रश्न-पत्र FIRST QUESTION PAPER

Time : समय :

02:00 Hours

02:00 घण्टे

Maximum Marks:

100

पर्णांक :

100

निर्देश: -

#### Instructions :-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ऋणात्मक मूल्याँकन नहीं किया जायेगा।

All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There shall be no negative marking.

2. इस प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 है। प्रश्न-पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी जांच कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र में अपेक्षित संख्या में प्रश्न मुद्रित हैं एवं सभी पृष्ठ मौजूद हैं, अन्यथा वह उसे दूसरे प्रश्न-पत्र से बदल लें।

This question paper contains fixed number of 100 questions. The cover page indicates the total number of pages in the question paper. The examinee shall check that the requisite number of questions are printed in his/her question paper and all pages are available, otherwise he/she shall get it replaced by another question paper.

3. ओ एम आर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें।

Read carefully the instructions given on the OMR sheet and indicate your answers accordingly.

4. कृपया ओ एम आर शीट पर निर्धारित स्थानों पर ही आवश्यक प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं।

Kindly make the necessary entries on the OMR sheet only at the places indicated and nowhere else.

5. किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

In case there is any variance either in printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

#### Law Lexicon & Maxims

- Que.1. "Aequitas sequitur legem" means -
  - (a) Law follows the equity.
  - (b) Equity follows the law.
  - (c) Action given to one who is injured.
  - (d) Action given to one who is not injured.
- Que.2. "Pari passu" means -
  - (a) In the opinion of the court
  - (b) At an equal rate
  - (c) By reason of which
  - (d) What for what
- Que.3. The legal maxim "nullum tempus aut locus occurrit regi" denotes -
  - (a) A law never dies.
  - (b) An accused never dies.
  - (c) A crime never dies.
  - (d) An act of god.
- Que.4. The legal maxim"Dura lex sed lex" means -
  - (a) Duration of law is law.
  - (b) Hardship of an individual can be a ground to strike down a statutory provision.
  - (c) The law is not hard.
  - (d) The law is hard but it is the law.
- Que.5. "Si in aere non habeat, in pelle luat" means?
  - (a) He who will not pay fine, will have to undergo corporal punishment.
  - (b) A servant works for master in lieu of wages paid by later.
  - (c) Whatever is contrary to law is taken as not done.
  - (d) The law is mute during exchange of fire (war).

#### General English

Q	ue.6.	The expression	"Filial	Consortium"	denotes	:-
---	-------	----------------	---------	-------------	---------	----

- (a) The right of the children to compensation in the case of an accidental death of a mother.
- (b) The right of the children to compensation in the case of an accidental death of a father.
- (c) The right of the parents to compensation in the case of an accidental death of a child.
- (d) The right of the wife to compensation in the case of an accidental death of a husband.
- Que.7. Which of the following word is opposite in meaning to "Probity"?
  - (a) Integrity
  - (b) Deception
  - (c) Unlikeliness
  - (d) Feasible
- Que. 8. Choose the word which best expresses the meaning of "Pernicious"?
  - (a) Baneful
  - (b) Benign
  - (c) Innocuous
  - (d) Salubrious
- Que. 9. Fill in the blank with the most appropriate option. Fortune continued to smile ...... me.
  - (a) at
  - (b) in
  - (c) with
  - (d) of
- Que. 10. Fill in the blank with the most appropriate option. He is a slur ...... his family.
  - (a) on

for

(b)

	(c)	at
	(d)	of
		Basics of Computer
Que. 11.	Whic	ch keyboard shortcut key is used to close active window?
	(a)	Alt + F2.
	(b)	Alt + F4.
	(c)	Alt + F6.
	(d)	Alt + F3.
Que. 12.	Wha	t is true about Browsing?
	(a)	Views coded instruction.
	(b)	Views web pages on the website.
	(c)	Views flow chart.
	(d)	Views utility program.
Que. 13.	Spee	ed of Computer is measured in -
	(a)	GB
	(b)	hertz
	(c)	baud
	(d)	DHCP
Que. 14.	Whi	ich of the following are modifier keys?
	(a)	Alt, Ctrl and Shift keys
	(b)	Only Ctrl and Shift keys
	(c)	Ctrl, Shift and Caps lock keys
	(d)	All of the above
Que. 15	. Wh	o used "Artificial Intelligence" in the II World War?
	(a)	Frank Rosenblatt
	(b)	Alan Turing
	(c)	John McCarthy

#### (d) Arthur Samuel

## Indian Penal Code, 1860, Code of Criminal Procedure, 1973 and Indian Evidence Act, 1872

- यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह कारावास, जिसे न्यायालय प्र.क्र.16 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ..... होगा। (अ) कटोर श्रम के साथ (ब) सादा (स) कठोर श्रम के साथ अथवा सादा (द) उपरोक्त में से कोई नहीं। If the offence be punishable with fine only, the imprisonment Que. which the Court imposes in default of payment of the fine shall be ..... (a) with hard labour (b) simple
  - (c) with hard labour or simple
  - (d) None of the above.
- प्र.क्र.17 "हिकलिन परीक्षण" लागू किया जाता है
  - (अ) एक पुस्तक अथवा सामग्री की अश्लीलता परीक्षण करने के लिए।
  - (ब) चिकित्सक की अश्लीलता परीक्षण के लिए।
  - (स) चिकित्सक के आपराधिक उत्तरदायित्व का परीक्षण करने के लिए।
  - (द) अभियुक्त की अश्लीलता का परीक्षण करने के लिए।
- Que. The "Hicklin Test" is applied to -
  - (a) test the obscenity of a book or content.
  - (b) test the obscenity of the doctor.
  - (c) test the criminal responsibility of a doctor.
  - (d) test the obscenity of accused.
- प्र.क्र.18 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत दोषसिद्धि की दशा में अभियुक्त पर कारावास और जुर्माना अधिरोपित करना :—
  - (अ) आदेशात्मक है।
  - (ब) वैवेकिक है।

- (स) यह अपराध की प्रकृति पर निर्भर है।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. In case of conviction under section 325 of the Indian Penal Code, 1860, imposition of imprisonment and fine on the accused

- (a) is mandatory.
- (b) is discretionary.
- (c) depends upon nature of offence.
- (d) none of the above.
- प्र.क्र.19 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की किस धारा के अंतर्गत सभी अस्पताल, ऐसिड हमले के अधीन आने वाले अपराध के पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार प्रदान कराने के लिए बाध्य है ?
  - (अ) धारा 357-क
  - (ब) धारा 357-ख
  - (स) धारा 357-ग
  - (द) धारा 357-घ
- Que. Under which section of Code of Criminal Procedure, 1973, all hospitals are bound to provide the first aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under acid attack?
  - (a) Section 357-A
  - (b) Section 357-B
  - (c) Section 357-C
  - (d) Section 357-D
- प्र.क्र.20 क, यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है, जिससे यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती, तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता। उस स्त्री को क्षति होती है, किन्तु उसकी मृत्यु नहीं होती, किन्तु तद्द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, जो उसके गर्भ में है। क किस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है ?
  - (अ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302
  - (ब) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 313
  - (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 315
  - (द) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 316

- Que. A, knowing that he is likely to cause the death of a pregnant woman, does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured, but does not die; but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offence defined under which section?
  - (a) Section 302 of the Indian Penal Code, 1860
  - (b) Section 313 of the Indian Penal Code, 1860
  - (c) Section 315 of the Indian Penal Code, 1860
  - (d) Section 316 of the Indian Penal Code, 1860
- प्र.क्र.21 किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुलाने का अधिकार दिया गया है :--
  - (अ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 232 (1) और 242 (1) के अंतर्गत।
  - (ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 232 (2) और 242 (3) के अंतर्गत।
  - (स) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 231 (2) और 242 (3) के अंतर्गत।
  - (द) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 231 (2) और 242 (2) के अंतर्गत।
- Que. Right to deferring the cross-examination of any witness until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination is provided:-
  - (a) under Section 232 (1) and Section 242 (1) of Code of Criminal Procedure, 1973
  - (b) under Section 232 (2) and Section 242 (3) of Code of Criminal Procedure, 1973
  - (c) under Section 231 (2) and Section 242 (3) of Code of Criminal Procedure, 1973
  - (d) under Section 231 (2) and Section 242 (2) of Code of Criminal Procedure, 1973
- प्र.क्र.22 माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट फाईल होने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए; वह पहले भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि तथ्य सुस्पष्ट हों और गिरफ्तारी की आशंका के युक्तियुक्त आधार हों ?
  - (अ) लिलता कुमारी विरूद्ध उत्तरप्रदेश शासन एवं अन्य

- (ब) शिव नन्दन पासवान विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य
- (स) सुशीला अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध राज्य (दिल्ली परिक्षेत्र) और एक अन्य
- (द) बिहार राज्य विरूद्ध राम नरेश पाण्डे
- Que. In which case Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court has held that it is not essential that an application under Section 438 of Code of Criminal Procedure, 1973 should be moved only after a First Information Report is filed; it can be moved earlier, so long as the facts are clear and there is reasonable basis for apprehending arrest?
  - (a) Lalita Kumari vs. Government of Uttar Pradesh & Others
  - (b) Sheo Nandan Paswan vs. State of Bihar & Others
  - (c) Sushila Aggarwal & Others vs. State (NCT of Delhi) & Another
  - (d) State of Bihar Vs Ram Naresh Pandey
- प्र.क्र.23 जहाँ वाद का पक्षकार, सक्षम होते हुए भी, अपने मामले के समर्थन में न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं होता है, तब उसके विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है ?
  - (अ) धारा 114 के दृष्टांत (क), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
  - (ब) धारा 114 के दृष्टांत (घ), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
  - (स) धारा 114 के दृष्टांत (छ), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
  - (द) धारा 114 के दृष्टांत (झ), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
- Que. Where a party to the suit, even though capable does not appear in court to give evidence in support of his case, adverse presumption may be drawn against him?
  - (a) under illustration (a) of Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (b) under illustration (d) of Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (c) under illustration (g) of Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (d) under illustration (i) of Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872
- प्र.क्र.24 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के प्रयोजनों के लिए अपराधों के दुष्प्रेरण के संबंध में क्या सही नहीं है ?
  - (I) दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

- (II) अपराध के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध नहीं है।
- (III) यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो।
- (IV) किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।
- (अ) केवल II
- (ब) केवल I , II और III
- (स) केवल I, III और IV
- (द) उपरोक्त सभी

Que. For the purpose of Indian Penal Code, 1860 what is incorrect in relation to abetment of offences?

- (I) To constitute the offence of abetment it is not necessary that the act abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence should be caused,
- (II) Abetment of abetment of an offence is not an offence.
- (III) It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offence, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty, intention or knowledge.
- (Iv) The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence although the abettor may not himself be bound to do that act.
- (a) Only II
- (b) Only I, II and III
- (c) Only I, III and IV
- (d) All of the above

प्र.क्र.25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 में उपबंधित प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं —

- (1) न्यायाधीश किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे पूछ सकेगा।
- (2) न्यायाधीश किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा।
- (3) न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे

प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिये गये किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे।

- (4) निर्णय सम्यक रूप से साबित किये गये ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिये गये उत्तर, सुसंगत या विसंगत, पर आधारित हो सकेगा।
- (अ) केवल (1)
- (ब) केवल (1) व (2)
- (स) केवल (1), (2) व (3)
- (द) उपरोक्त सभी।

Que. Which of the following facts is/are correct in the context of Section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 regarding judge's power -

- (1) The Judge may ask any question he pleases, in any form, at any time, of any witness, or of the parties, about any fact relevant or irrelevant.
- (2) The Judge may order the production of any document or thing.
- (3) Neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question.
- (4) The judgment can be based upon any relevant or irrelevant answer given in reply to such question, and duly proved.
- (a) Only (1)
- (b) Only (1) and (2)
- (c) Only (1), (2) and (3)
- (d) All of the above.
- प्र.क्र.26 किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन—मामले के विचारण के दौरान जो ...... से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामले में संपरिवर्तित कर सकता है।
  - (अ) छः माह
  - (ब) एक वर्ष
  - (स) दो वर्ष
  - (द) तीन वर्ष

- Que. In the course of the trial of a summons-case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding ....., trial of summons case can converted into warrant case by the Magistrate.
  - (a) Six months
  - (b) One year
  - (c) Two years
  - (d) Three years
- प्र.क्र.27 इनमें से किस अपराध के विचारण में मृत अभियुक्त के विधिक प्रतिनिधि को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है ?
  - (अ) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध में।
  - (ब) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 154 के अंतर्गत अपराध में।
  - (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 सहपठित धारा 409 के अंतर्गत अपराध में।
  - (द) इनमें से किसी में नहीं।
- Que. In which of the trial of offences the legal representative of deceased accused can be impleaded as accused?
  - (a) Offence under Section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881.
  - (b) Offence under Section 154 of the Indian Penal Code, 1860.
  - (c) Offence under Section 420 read with Section 409 of the Indian Penal Code, 1860.
  - (d) None of these.
- प्र.क्र.28 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही में ''स्वीकृति'' की विधिक स्थिति क्या है ?
  - (अ) स्वीकृति साक्ष्य नहीं है।
  - (ब) स्वीकृति निश्चायक सबूत है।
  - (स) स्वीकृति विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है।
  - (द) स्वीकृति एक उपधारणा है।
- Que. What is the legal position of "Admission" in court proceedings as per the Indian Evidence Act, 1872?
  - (a) admission is not evidence.

- (b) admission is conclusive proof.
- (c) admission may operate as estoppel.
- (d) admission is a presumption.

## प्र.क्र.29 निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं ?

- (1) दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।
- (2) इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।
- (3) स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किये जाने से अन्यथा साबित किया जाना होगा।
- (4) मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो सकेगा।
- (अ) केवल (1)
- (ब) केवल (1) व (4)
- (स) केवल (3) व (4)
- (द) केवल (1), (3) व (4)

## Que. Which of the following facts is/are correct?

- (1) Contents of a document may be proved by secondary evidence.
- (2) Contents of an electronic document may be proved by oral evidence.
- (3) Admitted facts have to be proved otherwise than by such admissions.
- (4) Oral evidence may be direct.
- (a) Only (1)
- (b) Only (1) and (4)
- (c) Only (3) and (4)
- (d) Only (1), (3) and (4)

## प्र.क्र.30 जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक के बारे में राय बनानी हो, तब सुसंगत तथ्य है —

- (अ) इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक बनाने वाले व्यक्ति की राय
- (ब) इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय
- (स) इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक जारी करने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी की राय
- (द) इनमें से किसी में नहीं।
- Que. When the court has to form an opinion as to the electronic

signature of any person, then relevant fact is -

- (a) the opinion of the person who made electronic signature.
- (b) the opinion of the Certifying Authority, which has issued the Electronic Signature Certificate.
- (c) the opinion of any officer of the company, which has issued the electronic signature.
- (d) None of these.
- प्र.क्र.31 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के अनुसार निम्नलिखित में से किन मामलों में ''पीड़ित'' को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा ?
  - (I) न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले आदेश के विरूद्ध
  - (II) न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को न्यूनतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले आदेश के विरूद्ध
  - (III) न्यायालय द्वारा पारित अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध
  - (IV) न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्ध तथा अन्य के लिए दोषमुक्त करने वाले आदेश के विरूद्ध
  - (अ) केवल I, III व IV
  - (ब) केवल I , II a IV
  - (स) केवल I, II व III
  - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
- Que. As per section 372 of Code of Criminal Procedure, 1973 in which of the following cases victim shall have a right to prefer an appeal?
  - (I) Against any order passed by the Court acquitting the accused
  - (II) Against any order passed by the Court convicting the accused for lesser offence
  - (III) Against any order passed by the Court imposing inadequate compensation
  - (IV) Against any order passed by the Court convicting the accused for some offences and acquitting for other offences.
  - (a) Only I, III and IV
  - (b) Only I, II and IV
  - (c) Only I, II and III

### (d) None of the above

- प्र.क्र.32 घोर उपहति कारित करने के लिए ''क'' का विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। क्षत व्यक्ति तत्पश्चात् मर जाता है। तब —
  - (अ) आपराधिक मानव वध के लिए ''क'' का पुनः विचारण नहीं किया जा सकता।
  - (ब) आपराधिक मानव वध के लिए ''क'' का पुनः विचारण किया जा सकेगा।
  - (स) आपराधिक मानव वध के लिए ''क'' का पुनः विचारण राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकेगा।
  - (द) आपराधिक मानव वध के लिए ''क'' का पुनः विचारण राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

Que. A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterwards dies. Then -

- (a) A, cannot be tried again for culpable homicide.
- (b) A, may be tried again for culpable homicide.
- (c) A, may be tried again for culpable homicide, with the consent of the State Government.
- (d) A, cannot be tried again for culpable homicide, without the consent of the State Government.
- प्र.क्र.33 "ख" को "क" लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छया उपहित कारित करता है। "क" पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा ?
  - (अ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 392
  - (ब) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394
  - (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 व 394
  - (द) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 392 व 394

Que. A, commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. A may be separately charged with and convicted under which section of the Indian Penal Code, 1860?

- (a) Section 392 of the Indian Penal Code, 1860
- (b) Section 394 of the Indian Penal Code, 1860
- (c) Section 323 and 394 of the Indian Penal Code, 1860
- (d) Section 323, 392 and 394 of the Indian Penal Code, 1860

प्र.क्र.34

ऐसे मामले में जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 211 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किये गये अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था, ऐसे विचारण में न्यायाधीश निम्न में से क्या करेगा —

- (1) अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषसिद्ध करने के पश्चात् अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (2) जब तक अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक न तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा और न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा।
- (3) जब तक अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा दिये गये किसी साक्ष्य में नहीं किया जाएगा।
- (अ) केवल (1)
- (ब) केवल (1) एवं (2)
- (स) केवल (1) एवं (3)
- (द) (1), (2) एवं (3)

Que.

In a case, where a previous conviction is charged under the provisions of sub-section (7) of section 211 of Code of Criminal Procedure, 1973, and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, in such a trial, the Judge will do which of the following -

- (1) After he has convicted the said accused under section 229 or Section 235, take evidence in respect of alleged previous conviction and shall record a finding thereon.
- (2) No such charge shall be read out by the Judge nor shall the accused be asked to plead thereto, unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235.
- (3) The previous conviction shall not be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235.
- (a) Only (1)
- (b) Only (1) and (2)
- (c) Only (1) and (3)
- (d) (1), (2) and (3)

- प्र. क्र. 35 निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गयी थी ?
  - (अ) वाडीवेलु थावर विरूद्ध मद्रास राज्य, ए आई आर 1957 सुप्रीम कोर्ट 614
  - (ब) बाम्बे राज्य विरूद्ध काथी कालू औघड़, ए आई आर 1961 सुप्रीम कोर्ट 1808
  - (स) बद्री विरूद्ध राजस्थान राज्य, (1976) 1 एस सी सी 442
  - (द) सुभाग सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 905
- Que. In which of the following case constitutional validity of section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 was challenged as being violative of Article 20 (3) of the Indian Constitution?
  - (a) Vadivelu Thever Vs State of Madras, AIR 1957 SC 614
  - (b) State of Bombay v. Kathikalu Oghad, AIR 1961 SC 1808
  - (c) Badri Vs State of Rajasthan (1976) 1 SCC 442
  - (d) Subhag Singh Vs State of Rajasthan AIR 1974 SC 905
- प्र.क्र.36 सुसंगत तथ्यों के कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये थे, जो मर गये है, या मिल नहीं सकता कब सुसंगत नहीं है –
  - (1) जहां कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत् वाद से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है।
  - (2) जहां कथन नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है।
  - (3) जहां कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या साम्पत्तिक हित के पक्ष में हो।
  - (4) जहां वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत् हो।
  - (अ) केवल (1), (2) एवं (3)
  - (ब) केवल (1), (2) एवं (4)
  - (स) केवल (2)
  - (द) केवल (3)
- Que. When the statements of relevant facts made by a person who is dead, or who cannot be found, are not relevant -
  - (1) When statement is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question.
  - (2) When statement relates to existence of relationship.
  - (3) When statement is in favour of pecuniary or proprietary interest of maker.
  - (4) When the statement is made by a person as to the cause

of his death, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question.

- (a) Only (1), (2) and (3)
- (b) Only (1), (2) and (4)
- (c) Only (2)
- (d) Only (3)
- प्र.क्र.37 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265 क की उपधारा (1) की अप्रयोज्यता के प्रयोजन के लिये, निम्न में से कौनसी विधि देश की सामाजिक—आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों में शामिल हैं ?
  - (अ) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
  - (ब) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
  - (स) पेटेंट अधिनियम, 1970
  - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. For the purposes of non-application of sub-section (1) of Section 265A (Plea Bargaining) of the Code of Criminal Procedure, 1973, which one of the following laws includes offences affecting the socio-economic condition of the country?

- (a) The Cinematograph Act, 1952
- (b) The Copyright Act, 1957
- (c) The Patents Act, 1970
- (d) None of the above.

प्र.क्र.38 एक लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किये जाते समय किये गये, निम्न में से किस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने हेतु सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी ?

- (अ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 166 क
- (ब) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 166 ख
- (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 166
- (द) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 509

Que. To take cognizance of which of the following offences, by the court, committed by a public servant while acting in the discharge of his official duty, will require previous sanction of

the Government?

- (a) Section 166 A of the Indian Penal Code, 1860
- (b) Section 166 B of the Indian Penal Code, 1860
- (c) Section 166 of the Indian Penal Code, 1860
- (d) Section 509 of the Indian Penal Code, 1860
- प्र.क्र.39 निम्नलिखित में से कौन से/सा कथन सही हैं ? जब तलाशी वारण्ट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, उनकी सूची के सहित तुरंत ले जाई जाएंगी:—
  - (1) उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारण्ट जारी किया था।
  - (2) उस न्यायालय के समक्ष, जो वहाँ अधिकारिता रखता है।
  - (3) यदि वह स्थान तलाशी वारण्ट जारी करने वाले न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहाँ अधिकारिता रखता है, तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष।
  - (4) उस मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो वहाँ अधिकारिता रखता है और वह उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।
  - (अ) केवल (3)
  - (ब) केवल (1), (3) एवं (4)
  - (स) केवल (2), (3) एवं (4)
  - (द) केवल (1), (2) एवं (4)
- Que. Which of the following statements is/are true?

  When, in the execution of a search-warrant at any place beyond

the local jurisdiction of the Court which issued the same, any of the things for which search is made, are found, such things, together with the list of the same shall be immediately taken:-

- (1) before the Court issuing the warrant.
- (2) before the Court having jurisdiction therein.
- (3) unless such place is nearer to the Magistrate having jurisdiction therein than to Court issuing the warrant, before such Magistrate.
- (4) before the Court having jurisdiction therein and such Magistrate shall make an order authorising them to be taken to such Court.
- (a) Only (3)
- (b) Only (1), (3) and (4)

- (c) Only (2), (3) and (4)
- (d) Only (1), (2) and (4)

प्र.क्र.40 मृत्युकालिक कथन के संबंध में निम्न में से कौनसे कथन सत्य हैं ?

- (1) मृत्युकालिक कथन जब तक पुष्ट न हो दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
- (2) मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के किसी अन्य भाग से कमजोर प्रकृति का साक्ष्य नहीं है।
- (3) एक मृत्युकालिक कथन को सदैव प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में ही लिखा जाना चाहिए।
- (4) सुसाइड नोट को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है।
- (अ) केवल (1) एवं (3)
- (ब) केवल (2) एवं (4)
- (स) केवल ((2) एवं (3)
- (द) केवल (2), (3) एवं (4)

Que. Which of the following statements are true relating to dying declaration?

- (1) A dying declaration cannot be the sole basis of conviction unless corroborated.
- (2) A dying declaration is not a weak kind of evidencethan any other piece of evidence.
- (3) A dying declaration must always be recorded in the form of questions and answers.
- (4) Suicide-Note can be treated as dying declaration.
- (a) Only (1) and (3)
- (b) Only (2) and (4)
- (c) Only (2) and (3)
- (d) Only (2), (3) and (4)

## Code of Civil Procedure, 1908, The Transfer or Property Act, 1882 and The Indian Contract Act, 1872

प्र.क्र.41 आदेश 22 नियम 4 के उपनियम (4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत कब न्यायालय वादी को किस प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा ?

- (अ) जो लिखित कथन फाईल करने में असफल रहां है।
- (ब) जो लिखित कथन फाईल कर चुका है परंतु सुनवाई के समय उपसंजात

होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है।

- (स) दोनों अ और ब।
- (द) उपरोक्तमें से कोई नहीं।
- Que. Under sub-rule (4) of the Rule 4 of Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908, the Court may exempt the plaintiff from the necessity of substituting the legal representative of which defendant?
  - (a) Who has failed to file written statement.
  - (b) Who has filed written statement but has failed to appear and contest the suit at the hearing.
  - (c) Both (a) and (b).
  - (d) None of the above.
- प्र.क्र.42 किस प्रावधान के अंतर्गत एक साक्षी जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, न्यायालय द्वारा पुनः बुलाया और परीक्षित किया जा सकेगा ?
  - (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 14
  - (ब) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 15
  - (स) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 16
  - (द) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 17
- Que. Under which provision a witness, who has been examined, may be recalled and examined by court?
  - (a) Order 18 Rule 14 of Code of Civil Procedure, 1908
  - (b) Order 18 Rule 15 of Code of Civil Procedure, 1908
  - (c) Order 18 Rule 16 of Code of Civil Procedure, 1908
  - (d) Order 18 Rule 17 of Code of Civil Procedure, 1908
- प्र.क्र.43 आदेश ७ नियम ११ सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अंतर्गत एक वाद :--
  - (अ) खारिज किया जाता है।
  - (ब) नामंजूर किया जाता है।
  - (स) लौटाया जाता है।
  - (द) उपरोक्त सभी।
- Que. Under Order 7 Rule 11 of Code of Civil Procedure, 1908, a plaint:-
  - (a) is dismissed.

- (b) is rejected.
- (c) is returned.
- (d) All of the above.

प्र.क्र.44 ख से क संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल जाए तो वह ख को ₹ 10,000 देगा। यह है एक :—

- (अ) समाश्रित संविदा।
- (ब) निहित संविदा।
- (स) शून्यकरणीय संविदा।
- (द) शून्य संविदा।

Que. A contracts to pay to B Rs. 10,000 if B's house is burnt. This is a:-

- (a) Contingent contract.
- (b) Vested contract.
- (c) Voidable contract.
- (d) Void contract.

प्र.क्र.45 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56 किन मामलों में लागू होगी ?

- (अ) शारीरिक असंभवता।
- (ब) विधिक असंभवता।
- (स) दोनों।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. In which cases Section 56 of the Indian Contract Act, 1872 will be applicable?

- (a) Physical impossibility.
- (b) Legal impossibility.
- (c) Both.
- (d) None of the above.

प्र.क्र.46 वर्तमान और भावी दोनों संपत्तियों को समाविष्ट करने वाला दान है :--

- (1) भावी संपत्ति के विषय में शून्यकरणीय।
- (2) भावी संपत्ति के विषय में शून्य।
- (3) भावी संपत्ति प्राप्त होने पर प्रभावी।
- (4) सभी संपत्तियों के विषय में शून्य।

- (अ) केवल (1)
- (ब) केवल (2)
- (स) केवल (4)
- (द) (1) एवं (3) दोनों

Que. A gift comprising both existing and future property is:-

- (1) voidable in respect of future property.
- (2) void in respect of future property.
- (3) effective on receipt of future property.
- (4) void in respect of all properties.
- (a) Only (1)
- (b) Only (2)
- (c) Only (4)
- (d) Both (1) and (3)
- प्र.क्र.47 किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 54 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत विक्रय की संविदा अचल संपत्ति में कोई हित या भार स्वतः सृजित नहीं करती है ?
  - (अ) बलवीर सिंह एवं एक अन्य विरूद्ध गुरूवचन कौर एवं अन्य, एआईआरऑनलाईन 1993 एससी 395।
  - (ब) वंचालभाई रघुनाथ इठापे (डी) द्वारा एलआर विरूद्ध शंकरराव बाबूराव भिलारे (डी) द्वारा एलआर एवं अन्य, एआईआर 2013 एससी 2924।
  - (स) धुलाभाई एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं एक अन्य, एआईआर 1969 एससी 78।
  - (द) राधाकिशन लक्ष्मीनारायण तोषनीवाल विरूद्ध श्रीधर रामचंद्र एल्सी एवं अन्य, एआईआर 1960 एससी 1368।
- Que. In which case Constitutional Bench of Hon'ble Supreme Court has held that under section 54 of the Transfer of Property Act, a contract for sale does not of itself create any interest in or charge on immovable property?
  - (a) Balbir Singh and another vs. Gurbachan Kaur and others, AIRONLINE 1993 SC 395.
  - (b) Vanchalabhai Raghunath Ithape (D) by LR. vs. Shankarrao Baburao Bhilare (D) by LRs & others, AIR 2013 SC 2924.
  - (c) Dhulabhai and Others vs. State of Madhya Pradesh and Another, AIR 1969 SC 78.
  - (d) Radhakisan Laxminarayan Toshniwal vs. Shridhar

#### Ramchandra Alshi and Others, AIR 1960 SC 1368.

- प्र.क्र.48 निम्नलिखित में से किन मामलों में उसी वाद हेतुक के बारे में नया वाद संस्थित किया जाना वर्जित नहीं होगा ?
  - (1) जहां वाद आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर नामंजूर किया गया हो।
  - (2) जहां वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 09 नियम 08 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है।
  - (3) जहां वाद का आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है।
  - (4) जहां वाद आदेश 23 नियम 01 के उपनियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय की अनुमित के बिना प्रत्याहृत कर लिया जाता है।
  - (अ) केवल (2)
  - (ब) केवल (2) व (4)
  - (स) केवल (1)
  - (द) केवल (1), (2) और (4)
- Que. In which of the following cases institution of fresh suit in respect of same cause of action is not barred?
  - (1) Where a plaint has been rejected on any of the grounds provided in Order 7 Rule 11 of Code of Civil Procedure, 1908.
  - (2) Where suit is wholly or partially dismissed under Order 9 Rule 8 of Code of Civil Procedure, 1908.
  - (3) Where suit abates or is dismissed under Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908
  - (4) Where suit is withdrawn without permission of court as given in Sub-rule (3) of Rule 1 of Order 23 Code of Civil Procedure, 1908
  - (a) Only (2)
  - (b) Only (2) and (4)
  - (c) Only (1)
  - (d) Only (1), (2) and (4)
- प्र.क्र.49 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है ?
  - (1) वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् किसी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा।

- जहां वादी ऐसा व्यक्ति है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश (2)32 के नियम 01 से 14 तक के उपबंध लागू होते हैं, वहां न्यायालय की इजाजत के बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा।
- न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता. 1908 के आदेश 23 के नियम 1 (3)उपनियम (1) के अधीन अनेक वादियों में से एक वादी को अन्य वादियों की सहमति के बिना अपने वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 के प्रावधान डिक्री या आदेश (4) के निष्पादन की कार्यवाहियों पर पूर्णतः प्रयोज्य हैं।
- केवल (1) एवं (2) (अ)
- केवल (3) व (4) (ब)
- केवल (1), (3) व (4) (स)
- केवल (1), (2) और (4) (द)

What is not correct of the following in relation to Order 23 of Que. Code of Civil Procedure, 1908?

- At any time after the institution of suit, the plaintiff may as against all or any of the defendants abandon his suit or abandon a part of his claim.
- Where the plaintiff is a person to whom the provisions (2)contained in Rules 1 to 14 of Order 32 of Code of Civil Procedure, 1908, extend, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court
- (3)Where there are several plaintiffs, the court may permit one of them to withdraw or abandon under Sub-rule (1) of Rule 1 of Order 23 of Code of Civil Procedure, 1908, any suit or part of claim without the consent of other plaintiffs.
- Provisions of Order 23 of Code of Civil Procedure, (4)1908 are wholly applicable to proceedings in execution of decree or order.
- Only (1) and (2) (a)
- Only (3) and (4) (b)
- (c) Only (1), (3) and (4)
- Only (1), (2) and (4) (d)

वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन का परिणाम होगा -प्र.क्र.50

वाद निरस्त किये जाने योग्य होता है।

- (2) वादपत्र वापस लौटाये जाने योग्य होता है।
- (3) वादी को निर्देशित किया जायेगा कि वह त्रृटि की पूर्ति करे।
- (4) वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है।
- (अ) केवल (1)
- (ब) केवल (3)व (4)
- (स) केवल (2) अथवा (3)
- (द) केवल (4)

Que. The effect of misjoinder or non-joinder of parties in a suit is-

- (1) The suit is liable to be dismissed.
- (2) The plaint is liable to be returned.
- (3) The Plaintiff will be directed to cure the defect.
- (4) The suit cannot be dismissed.
- (a) Only (1)
- (b) Only (3) and (4)
- (c) Only (2) or (3)
- (d) Only (4)
- प्र.क्र.51 'एक्स' 'वाय' को 1 लाख रूपया शासकीय सेवा में नियोजन प्राप्त करने के लिये देता है। 'एक्स', 'वाय' से धनराशि वापस प्राप्त करने के लिये वाद लाता है।
  - (अ) वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि करार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अंतर्गत विधि के प्रावधानों को विफल कर देगा।
  - (ब) करार प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 24 के अंतर्गत विधिविरूद्ध है।
  - (स) वाद पोषणीय है क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अंतर्गत 'वाय' धनराशि वापस करने के लिये बाध्य है।
  - (द) करार शून्य है क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अंतर्गत प्रतिफल विधिविरूद्ध है।
- Que. "X" pays Rs. one lac to "Y" to obtain an employment in the public service. "X" filed a suit to recover the amount from "Y".
  - (a) Suit is not maintainable as the object of agreement would defeat the provisions of law under Section 25 of the Indian contract Act, 1872.
  - (b) Agreement is not enforceable as the agreement is unlawful under Section 24 of the Indian contract Act, 1872.
  - (c) Suit is maintainable as "Y" is bound to return the money under Section 65 of the Indian contract Act, 1872.

- (d) Agreement is void as the consideration is unlawful under Section 23 of the Indian contract Act, 1872.
- प्र.क्र.52 कब मूल संविदा का पालन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी
  - (अ) मूल संविदा का नवीयन या विखंडन की दशा में।
  - (ब) मूल संविदा का विखंडन या परिवर्तन की दशा में।
  - (स) मूल संविदा का परिवर्तन, विखंडन या नवीयन की दशा में।
  - (द) उपरोक्त सभी।
- Que. When the original contract need not be performed -
  - (a) in case of novation or rescission of original contract.
  - (b) in case of rescission or alteration of original contract.
  - (c) in case of alteration, rescission or novation of original contract.
  - (d) All of the above.
- प्र.क्र.53 किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है ?
  - (अ) आदेश ६ नियम २ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।
  - (ब) आदेश ६ नियम १६ सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८।
  - (स) आदेश ६ नियम १७ सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८।
  - (द) आदेश 6 नियम 18 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।
- Que. Under which provision the Court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious?
  - (a) Order 6 Rule 2 of Code of Civil Procedure, 1908.
  - (b) Order 6 Rule 16 of Code of Civil Procedure, 1908.
  - (c) Order 6 Rule 17 of Code of Civil Procedure, 1908.
  - (d) Order 6 Rule 18 of Code of Civil Procedure, 1908.
- प्र.क्र.54 निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है ?
  - (अ) भविष्य निधि।
  - (ब) मेहर।

- (स) संविदा भंग की स्थिति में नुकसानी का अधिकार।
- (द) लॉटरी टिकिट।

Que. Which amongst the following is not an actionable claim?

- (a) Provident Fund.
- (b) Dower (Mahr).
- (c) Claim for damages in case of breach of contract.
- (d) Lottery ticket.

प्र.क्र.55 **क**, एक अभिकर्ता, जो ख की ओर से ऐसा कारबार करने में लगा है, जिसमें यह रूढ़ि है कि समय—समय पर जो रुपए हाथ में आएं उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए।

यदि क, उसका वैसा विनिधान करने का लोप करता है तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ?

- (अ) ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होती है, क को करनी होगी।
- (ब) ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होती है, क को नहीं करनी होगी।
- (स) क के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होती है, ख को करनी होगी।
- (द) क के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होती है, ख को करनी होगी।

Que. A, an agent, is engaged in carrying on a business for B, where it is a custom to invest moneys, which may be in hand, on interest, from time to time.

If **A**, omits to make such investments, then which of the following will be correct option?

- (a) A must make good to B the interest usually obtained by such investments.
- (b) A must not make good to B the interest usually obtained by such investments.
- (c) B must make good to A the interest usually obtained by such investments.
- (d) B must not make good to A the interest usually obtained by such investments.

प्र.क्र.56 किस परिस्थिति में न्यायालय आदेश 26 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत कमीशन निकाल सकता है ?

- (अ) लेखाओं की परीक्षा करने के लिए।
- (ब) स्थानीय अन्वेषण करने के लिए।
- (स) अनुसचिवीय कार्य करने के लिए।
- (द) उपरोक्त सभी।

Que. In which condition the Court may issue a commission under Order 26 Rule 11 of Code of Civil Procedure, 1908?

- (a) to examine accounts.
- (b) to make local investigations.
- (c) for performance of a ministerial act.
- (d) All of the above.

प्र.क्र.57 किन दशाओं में पक्षकार की मृत्यु वाद का उपशमन नहीं करेगी ?

- (1) यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है।
- (2) जहां एक से अधिक वादी हैं और उनमें से एक या किसी की मृत्यु हो जाती है और अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को वाद लाने का अधिकार बचा रहता है।
- (3) जहां दो या अधिक वादियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता है।
- (4) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन आदेश 22 नियम 3 के उपनियम (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन नहीं किया जाता है।
- (अ) केवल (1) व (2)
- (ब) केवल (3) व (4)
- (स) कंवल (1), (2) एवं (3)
- (द) केवल (4)

Que. In which conditions party's death shall not cause the suit to abate ?

- (1) If the right to sue survives.
- (2) Where there are more plaintiffs than one and any of them dies and where the right to sue survives to the surviving plaintiff alone.
- (3) Where one of two or more plaintiffs dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone.
- (4) Where within the time limited by law no application is made under sub-rule (1) of Rule 3 Order 22 Code of Civil Procedure, 1908.

- (a) Only (1) and (2)
- (b) Only (3) and (4)
- (c) Only (1), (2) and (3)
- (d) Only (4)
- प्र.क्र.58 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 13 नियम 1 के अंतर्गत पक्षकार या उनके प्लीडर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य मूल रूप में, जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ प्रस्तुत की गई हैं, पेश करेंगे
  - (अ) वाद की पहली सुनवाई पर।
  - (ब) वादोत्तर प्रस्तुत करने के समय अथवा उसके पहले।
  - (स) विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय अथवा उसके पहले।
  - (द) वाद के किसी भी प्रक्रम पर।
- Que. Under Order 13 Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1980, the parties or their pleader shall produce all the documentary evidence in original where the copies thereof have been filed along with plaint or written statement -
  - (a) At the first hearing of the suit.
  - (b) On or before the filing of written statement.
  - (c) On or before the settlement of issues.
  - (d) At any stage of the suit.
- प्र.क्र.59 जहां स्थावर सम्पत्ति दो न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित एक सम्पदा या भूधृति के रूप में है वहां पूरी सम्पदा या भूधृति को ऐसे न्यायालयों में से कौन सा न्यायालय कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा ?
  - (अ) केवल वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी।
  - (ब) केवल वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है।
  - (स) प्रत्येक न्यायालय अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित सम्पदा के भाग को कुर्क एवं विक्रय कर सकेगी।
  - (द) दोनों न्यायालयों में से कोई भी एक।
- Que. Where immovable property forms one estate or tenure situate within the local limits of the jurisdiction of two Courts, which Court may attach and sell the entire estate or tenure?
  - (a) Only the Court by which the decree was passed.
  - (b) Only the Court to which a decree has been sent for execution.

- (c) Every Court may attach and sell part of property situate within the local limits of its jurisdiction.
- (d) Any one out of the two Courts.
- प्र.क्र.60 जहां वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण या परित्याग किया जाता है और प्रतिवादी वादी के रूप में पक्षान्तरित किए जाने के लिए आवेदन करता है वहां प्रतिवादी को वादी के रूप में पक्षान्तरित किया जा सकता है —
  - (अ) जहां आवेदक का कोई ऐसा सारवान् प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाना हो।
  - (ब) जहां अन्य वादियों का कोई ऐसा सारवान् प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाना हो।
  - (स) जहां आवेदक का कोई ऐसा विषय वस्तु संबंधी प्रश्न है जो अन्य वादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाना हो।
  - (द) प्रतिवादी को वादी के रूप में पक्षान्तरित नहीं किया जा सकता है।
- Que. Where a suit is withdrawn or abandoned by a plaintiff and a defendant applies to be transposed as a plaintiff, then defendant may be transposed as a plaintiff -
  - (a) Where applicant has a substantial question to be decided as against any of the other defendants.
  - (b) Where other plaintiffs have a substantial question to be decided as against any of the other defendants.
  - (c) Where applicant has a question relating to subject matter, to be decided as against any of the other plaintiffs.
  - (d) Defendant cannot be transposed as a plaintiff.

## The Specific Relief Act, 1963

प्र.क्र.61 न्यायालय द्वारा निम्न में से किन मामलों में शाश्वत व्यादेश नहीं दिया जा सकता ?

- (1) जहां कि प्रतिवादी वादी के लिये उस संपत्ति का न्यासी हो।
- (2) जहां कि उस वास्तितक नुकसान का, जो उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है, अभिनिश्चय करने के लिए मानक विद्यमान हो।
- (3) जहां कि वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष देगा।
- (4) जहां कि व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों के बाहुल्य निवारित करने के लिये आवश्यक हो।
- (अ) केवल (1) एवं (4) में
- (ब) केवल (2) एवं (3) में
- (स) केवल (1), (2) एवं (3) में

(द) केवल (2) एवं (4) में

Que. In which of the following cases perpetual injunction cannot be granted by the court?

- (1) where the defendant is trustee of the property for the plaintiff.
- (2) where there exists standard for ascertaining the actual damage likely to be caused, by the invasion.
- (3) where the invasion is such that compensation in money would afford adequate relief.
- (4) where the injunction is necessary to prevent multiplicity of judicial proceedings.
- (a) In only (1) and (4)
- (b) In only (2) and (3)
- (c) In only (1), (2) and (3)
- (d) In only (2) and (4)
- प्र.क्र.62 राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एक या अधिक सिविल न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी —
  - (अ) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अधीन समस्त संविदाओं के बाबत वाद का विचारण करने हेतु।
  - (ब) संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन के वादों के शीघ्र निराकरण हेतु।
  - (स) (अ) एवं (ब) दोनों।
  - (द) उपरोक्त कोई नहीं।
- Que. The State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court, shall designate, one or more Civil Courts as Special Courts -
  - (a) to try a suit under Specific Relief Act, 1963 in respect of all contracts.
  - (b) for speedy disposal of cases for Specific performance of contracts.
  - (c) Both (a) and (b).
  - (d) None of the above.
- प्र.क्र.63 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 12 का सिद्धांत आधारित है
  - (अ) साम्या मात्र संविदा के शब्दों को देखने के बजाए सार देखती है।
  - (ब) साम्या संविदा का सार देखती है और उसके शाब्दिक पालन के स्थान पर

उसका शर्तों के साथ सारभूत अनुपालन मांगती है।

- (स) (अ) एवं (ब) दोनों।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. The principle in which Section 12 of the Specific Relief act, 1963 is based on-

- (a) Equity looks to the substance rather than to the mere letter of a contract.
- (b) Equity looks to the substance of the contract and requires substantial compliance with its conditions rather than its literal fulfillment.
- (c) Both (a) and (b).
- (d) None of the above.

प्र.क्र.64 विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 07 के अधीन निम्नलिखित में से क्या सही है ?

- (अ) न्यासी ऐसी जंगम सम्पत्ति के कब्जे के लिए धारा 07 के अधीन वाद ला सकेगा, जिसके फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है।
- (ब) जंगम सम्पत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थाई अधिकार धारा 07 के अधीन वाद के समर्थन के लिए अपर्याप्त है।
- (स) जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोषपूर्वक अंतरित कराया गया हो।
- (द) (अ) और (ब) दोनों

Que. What among the following is true for a person entitled to recover the possession of specific movable property under Section 7 of the Specific Relief Act, 1963?

- (a) A trustee may sue under Section 07 for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person, for whom he is trustee, is entitled.
- (b) A special or temporary right to the present possession of movable property is insufficient to support a suit under Section 07.
- (c) When the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff.
- (d) Both (a) and (b).

प्र.क्र.65 कब लिखत के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है ?

- (अ) जबिक लिखत शून्यकरणीय हो, और वादी को यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी गई, तो वह उसे गंभीर क्षिति कारित कर सकती है।
- (ब) जबिक लिखत शून्य हो, और वादी को यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी गई, तो वह उसे गंभीर क्षिति कारित कर सकती है।
- (स) (अ) और (ब) दोनों।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. When can cancellation of instrument be ordered?

- (a) When written instrument is voidable, and plaintiff has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding may cause him serious injury.
- (b) When written instrument is void, and plaintiff has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding may cause him serious injury.
- (c) Both (a) and (b).
- (d) None of the above.

## The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

प्र.क्र.66 किस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इस कारण कि परिवादी ही अन्वेषणकर्ता है, अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी नहीं है। इसका निर्णय प्रकरण—दर—प्रकरण के आधार पर किया जाना है। विपरीत दृष्टिकोण लेने वाले विरोधाभाषी निर्णय कि परिवादी अन्वेषणकर्ता नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, अच्छी विधि नहीं हैं और उन्हें विशिष्टतः ओवररूल किया जाता है।

- (अ) मयंक एन. शाह विरूद्ध गुजरात राज्य एवं एक अन्य, (2020) 15 एस सी सी 539
- (ब) रमेश उर्फ दिपंदर सिंह विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, (2021) 15 एस सी सी 53
- (स) मुकेश सिंह विरूद्ध राज्य (नारकोटिक ब्रांच दिल्ली), (2020) 10 एस सी सी 120
- (द) अश्विनी कुमार उपाध्याय एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ, (2023) 6 एस सी सी 511

Que. In which of the following case it has been held by the Constitutional Bench of Hon'ble Supreme Court that merely because the informant is the investigator, the accused is not entitled to acquittal. The matter has to be decided on a case-to-

case basis. A contrary decisions taking a contrary view that the informant cannot be the investigator and in such a case the accused is entitled to acquittal are not good law and they are specifically overruled.

- (a) Myaynk N. Shah vs State of Gujrat and Another (2020) 15 SCC 539
- (b) Ramesh alias Dapinder Singh vs State of Himachal Pradesh (2021) 15 SCC 53
- (c) Mukesh Singh vs State (Narcotic Branch of Delhi) (2020) 10 SCC 120
- (d) Ashwini Kumar Upadhyay and Others vs Union of India (2023) 6 SCC 511

प्र.क्र.67 जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लिखता है वहां वह उस इत्तिला की प्रति कितने समय के भीतर और किसे भेजेगा ?

- (अ) अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को, यथासंभव शीघ्र
- (ब) अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को, चौबीस घण्टे के भीतर
- (स) अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को, बहत्तर घण्टे के भीतर
- (द) संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को, चौबीस घण्टे के भीतर

Que. Where an officer takes down any information in writing under sub-section (1) Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, he shall send a copy thereof to which officer and in which period?

- (a) As early as possible, to his immediate official superior.
- (b) Within twenty-four hours, to his immediate official superior.
- (c) Within seventy-two hours, to his immediate official superior.
- (d) within twenty-four hours, to magistrate having jurisdiction

प्र.क्र.68 किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि नमूने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिये गये थे स्वापक ओषि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52—क की उपधारा (2) के प्रावधान की पर्याप्त अनुपालना नहीं है।

(अ) के. बालासुब्रामणि विरूद्ध तमिलनाडू राज्य, (2024) 4 एस सी सी 330

- (ब) यूसुफ उर्फ आसिफ विरूद्ध राज्य 2023 एससीसीऑनलाइन एससी 1328
- (स) रमेश चंद्र शर्मा एवं अन्य विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 5 एस सी सी 217
- (द) यडाला सुब्बा राव विरुद्ध भारत संघ, (2023) 6 एस सी सी 65
- Que. In which of the following case it has been held by the Hon'ble Supreme Court that the mere fact that the samples were drawn in the presence of a gazetted officer is not sufficient compliance of the mandate of sub-section (2) of Section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
  - (a) K. Balasubramani Vs State of Tamilnadu (2024) 4 SCC 330
  - (b) Yusuf @ Asif vs State 2023 SCCOnLine SC 1328
  - (c) Ramesh Chandra Sharma and Others Vs State of Uttar Pradesh (2024) 5 SCC 217
  - (d) Yedala Subba Rao Vs Union of India (2023) 6 SCC 65
- प्र.क्र.69 अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति के समपहरण की सूचना जारी किये जाने का प्रावधान स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में उपबंधित किया गया है ?
  - (अ) धारा ६८ -ज
  - (ब) धारा 68 —ङ
  - (स) धारा 68 च
  - (द) धारा 68 –छ
- Que. The provision to issue notice of forfeiture of property illegally acquired under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, has been provided in which of the following sections?
  - (a) Section 68-H
  - (b) Section 68-E
  - (c) Section 68-F
  - (d) Section 68-G

#### The Limitation Act, 1963

प्र.क्र.70 निम्न में से किस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा यह कथन संदर्भित किया है कि – परिसीमा अधिनियम किसी विशिष्ट पक्षकार को कठोरता से प्रभावित कर सकता है परन्तु जब संविधि ऐसा विहित करती है और न्यायालय को साम्या के आधार पर परिसीमा में वृद्धि करने की शक्ति नहीं होती है, तब इसे इसकी पूरी शक्ति से लागू करना होगा, भले ही संविधि के प्रावधान किसी विशेष पक्षकार को कठिनाई या असुविधा उत्पन्न करते हों ?

- (अ) हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर विरूद्ध पैन इण्डिया कंसल्टेंट प्रायवेट लिमिटेड, (2021) 3 एस सी सी 103
- (ब) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध हिली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्रायवेट लिमिटेड, (2020) 5 एस सी सी 757
- (स) भारत संघ एवं अन्य विरूद्ध विष्णु अरोमा पाउचिंग प्रायवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, (2022) 9 एस सी सी 263
- (द) बैनी प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण विरूद्ध दुर्गा देवी, (2023) 6 एस सी सी 708

Que. In which case Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court has referred this statement that - The law of limitation may harshly affect a particular party but it has to be applied with all its vigour when the statute so prescribes and that the Court has no power to extend the period of limitation on equitable grounds, even if the statutory provision may cause hardship or inconvenience to a particular party?

- (a) Haryana Space Application Centre Vs Pan India Consultants (P) Ltd., (2021) 3 SCC 103
- (b) New India Assurance Company Limited Vs Hilli Multipurpose Cold Storage (P) Limited, (2020) 5 SCC 757
- (c) Union of India and Others Vs Vishnu Aroma Pouching Private Limited and Another, (2022) 9 SCC 263
- (d) Baini Prasad (dead) Through Legal Representatives Vs Durga Devi, (2023) 6 SCC 708

प्र.क्र.71 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय के अपवर्जन का दावा करने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (अ) वादी द्वारा अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से अभियोजित की जानी चाहिए।
- (ब) वादी द्वारा अन्य सिविल कार्यवाही सद्भावपूर्वक अभियोजित की जानी चाहिए।
- (स) दोनों गलत हैं।
- (द) दोनों सही हैं।

Que. What is necessary for claiming exclusion of time of proceeding bonafide in court without jurisdiction?

- (a) The plaintiff should be prosecuting with due diligence another civil proceeding.
- (b) The plaintiff should be prosecuting in good faith another civil proceeding.
- (c) Both are wrong.
- (d) Both are true.
- प्र.क्र.72 कोई आवेदन जिसके लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 118 से अनुच्छेद 136 तक कोई परिसीमा काल उपबन्धित नहीं है, की परिसीमा क्या होगी ?
  - (अ) एक वर्ष
  - (ब) दो वर्ष
  - (स) तीन वर्ष
  - (द) कोई परिसीमा नहीं होगी।
- Que. What will be the limitation for any application for which no limitation period is prescribed from Articles 118 to 136 under Schedule of Limitation Act, 1963?
  - (a) One year.
  - (b) Two years.
  - (c) Three years.
  - (d) There will be no limitation.

## The Negotiable Instruments Act, 1881

- प्र.क्र.73 किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत कार्यवाहियों को ''आपराधिक भेड़िये के वेश'' में ''सिविल भेड'' कहा जा सकता है :—
  - (अ) कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड विरूद्ध सैप इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, (2024) 4 एस सी सी 1
  - (ब) विदर्भ इण्डस्ट्रीज पॉवर लिमिटेड विरूद्ध एक्सिस बैंक लिमिटेड, (2022) 8 एस सी सी 352
  - (स) पी. मोहनराज एवं अन्य विरूद्ध शाह ब्रदर इस्पात प्रायवेट लिमिटेड, (2021)6 एस सी सी 258
  - (द) शैन खोई कुई विरूद्ध लिआंग मिआओ शेंग एवं अन्य, (2023) 9 एस सी सी 376
- Que. In which case it has been held that a proceeding under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 can be said to be a "Civil Sheep" in a "Criminal Wolf's Clothing":-

- (a) Coxx and Kings Limited Vs SAP India Private Limited (2024) 4 SCC 1
- (b) Vidarbha Industries Power Limited Vs Axis Bank Limited (2022) 8 SCC 352
- (c) P. Mohanraj and Others Vs Shah Brother Ispat Private Limited, (2021) 6 SCC 258
- (d) Chen Khoi Kui Vs Liang Miao Sheng and Others (2023) 9 SCC 376
- प्र.क्र.74 पति 'अ' एवं पत्नि 'ब' दोनों संयुक्त खाताधारक हैं। पति 'अ' अपने व्यवसाय के ऋणों के मद्धे शोध्य रकम के भुगतान के एवज में अपनी पत्नि 'ब' द्वारा हस्ताक्षरित अपने संयुक्त खाते का चैक भुगतान हेतु 'स' को प्रदाय करता है, जो बैंक में भूगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अनादरित हो जाता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के आपराधिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है ?

- (अ) केवल 'अ' उत्तरदायी है।
- (ब) केवल 'ब' उत्तरदायी है।
- (स) 'अ' एवं 'ब' दोनों उत्तरदायी हैं।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
- Que. Husband 'A' and wife 'B' are joint account holders. Husband 'A' gives a cheque signed by his wife 'B' to 'C' for the payment of amount due of his business, which is dishonoured on the production for payment in the bank.

Which of the following is correct with regard to the criminal liability under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881?

- (a) Only 'A' is liable.
- (b) Only 'B' is liable.
- (c) 'A' and 'B' both are liable.
- (d) None of the above.

प्र.क्र.75 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "राकेश रंजन श्रीवास्तव विरूद्ध झारखण्ड राज्य, (2024) 4 एससीसी 419" के मामले में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143क के अधीन प्रतिकर दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किये जाते समय निम्न में से कौन से मानकों को विचार में लिया जाना है —

- (1) न्यायालय को परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले के गुण दोषों का प्रथम दृष्टया मृल्यांकन करना होगा।
- (2) अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य रिश्ता, यदि कोई हो।
- (3) आवेदन के प्रत्युत्तर में अभियुक्त द्वारा अभिवचित बचाव के गुणदोष

का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करना होगा।

- (4) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अधीन उपधारणा।
- (अ) केवल (1) एवं (3)
- (ब) केवल (2) एवं (4)
- (स) केवल (1), (2) एवं (3)
- (द) केवल (1) एवं (4)

Que. As per the directions given by Hon'ble Supreme Court in the case of "Rakesh Ranjan Shrivastav Vs State of Jharkhand, (2024) 4 SCC 419" while deciding the application for granting compensation under Section 143A of the Negotiable Instruments Act, 1881, which of the following parameters are to be considered -

- (1) The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant.
- (2) The relationship, if any, between the accused and the complainant.
- (3) The Court will have to prima facie evaluate the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application.
- (4) The presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881.
- (a) Only (1) and (3)
- (b) Only (2) and (4)
- (c) Only (1), (2) and (3)
- (d) Only (1) and (4)

## Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959

- प्र.क्र.76 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत् ''सेवा भूमि'' के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है ?
  - (अ) नगरीय या नगरेत्तर क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर कृषि के प्रयोजन के लिए उसके कोटवार का पद धारित करने तक के लिए दी जाती है।
  - (ब) यदि कोटवार की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है, या विधिपूर्वक पदच्युत कर दिया जाता है तो सेवा भूमि उसके उत्तरवर्ती को संक्रांत हो जाएगी।
  - (स) ''सेवा भूमि'' में किसी कोटवार को ऐसा अधिकार, किसी विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे द्वारा या अन्यथा एक वर्ष से अनधिक कालावधि तक के

उप-पट्टे के सिवाय न तो अंतरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।

- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
- Que. Which of the following is incorrect in relation to "Service Land" under Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959?
  - (a) It is land in urban or non-urban area which is given to Kotwar on the condition of rendering service as a Kotwar for the purpose of agriculture during his tenure of post.
  - (b) If a Kotwar dies, resigns or is lawfully dismissed, the service land shall pass to his successor-in-office.
  - (c) Any right of a Kotwar in the service land shall not be transferred nor be transferable by way of sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise except by a sub-lease for a period not exceeding one year.
  - (d) None of the above.
- प्र.क्र.77 धारा 178—क मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के संबंध में गलत विकल्प चुनिए
  - (अ) विभाजन का आवेदन भूमिस्वामी के जीवनकाल में फाइल किया जाना चाहिए।
  - (ब) विभाजन भूमिस्वामी के विधिक वारिसों के मध्य किया जाना चाहिए।
  - (स) खाता कृषि के प्रयोजनों के लिए निर्धारित होना चाहिए।
  - (द) विभाजन हेतु आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए।
- Que. Select the incorrect option regarding section 178-A of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959:-
  - (a) Application for partition should be filed during the life time of Bhumiswami.
  - (b) Partition should be made amongst the legal heirs of Bhumiswami.
  - (c) Holding should be assessed for purpose of agriculture.
  - (d) Application for partition should be filed before Naib Tehsildar.
- प्र.क्र.78 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत किये गये निम्न में से किस आदेश की कोई अपील नहीं होगी ?

- (अ) आयुक्त द्वारा एक राजस्व अधिकारी से उसी जिले के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित करने का आदेश।
- (ब) तहसीलदार द्वारा भू—अधिकार पुस्तिका की प्रविष्टि को शुद्ध करने का आदेश।
- (स) एक अंतरिम स्वरूप का आदेश।
- (द) उपरोक्त सभी।
- Que. No appeal shall lie under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 from which of the following order?
  - (a) An order of the Commissioner for transfer of a case from a Revenue Officer to another Revenue Officer in the same district.
  - (b) Order of the Tahsildar to correct any entry in Bhoo-Adhikar Pustika.
  - (c) Order of an interim nature.
  - (d) All of the above.
- प्र.क.79 कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है, ऐसी भूमि का अंतरण कर सकेगा —
  - (अ) कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा से किसी भी समय।
  - (ब) कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा से पट्टे या अंतरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के पश्चात।
  - (स) कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा से पट्टे या अंतरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर।
  - (द) अंतरित नहीं कर सकेगा।
- Que. A person who holds land from the State Government or a person who holds land in bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, may transfer such land -
  - (a) at any time, with the permission of a Revenue Officer, not below the rank of a Collector.
  - (b) after a period of ten years from the date of lease or allotment, with the permission of a Revenue Officer, not below the rank of a Collector.

- (c) within a period of ten years from the date of lease or allotment, with the permission of a Revenue Officer, not below the rank of a Collector.
- (d) cannot transfer.
- प्र.क्र.80 निम्न में से कौनसा विकल्प सही नहीं है ? मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन गृहण नहीं किया जायेगा —
  - (अ) आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर।
  - (ब) मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरूद्ध।
  - (स) जहां द्वितीय अपील में राजस्व अधिकारी द्वारा सारवान अनियमितता की गई हो।
  - (द) उपरोक्त सभी।
- Que. Which of the following options is not correct?

  No application for revision shall be entertained under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 -
  - (a) within forty-five days from the date of order.
  - (b) against an order of the Commissioner under Section 210 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.
  - (c) where a Revenue Officer has acted with material irregularity in second appeal.
  - (d) All of the above.

## The Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961

- प्र.क्र.81 भू—स्वामी द्वारा आवश्यक प्रदाय या सेवा को बंद किए जाने या रोके जाने पर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अभिधारी को क्या उपचार उपलब्ध है ?
  - (अ) अभिधारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को आवेदन कर सकेगा।
  - (ब) अभिधारी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
  - (स) अभिधारी, सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड या कनिष्ठ खण्ड को आवेदन कर सकेगा।
  - (द) अभिधारी, अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
- Que. What remedy is available to a tenant under the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961, when essential supply or

service are cut off or withheld by landlord?

- (a) The tenant, may make an application to the Judicial Magistrate First Class.
- (b) The tenant, may make an application to the rent controlling authority.
- (c) The tenant, may make an application to the Civil Judge, Senior Division or Junior Division.
- (d) The tenant, may make an application to the Sub-Divisional Officer.

प्र.क्र.82 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है ?

- (अ) किरायेदार के निष्कासन की डिक्री की द्वितीय अपील की जा सकती है।
- (ब) किरायेदार के निष्कासन का वाद निरस्त करने की डिक्री की द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है।
- (स) भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा किराया निर्धारण के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील हो सकती है।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Which of these is not correct in relation to the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961?

- (a) Second appeal can be preferred against the decree of eviction of tenant.
- (b) Second appeal cannot be preferred against decree of dismissal of suit for eviction of tenant.
- (c) Second appeal can be preferred against the order of rent control officer for fixation of rent.
- (d) None of the above.

प्र.क्र.83 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किरायेदार के निष्कासन का आधार नहीं है ?

- (अ) न्यूसेंस
- (ब) सारवान नुकसान
- (स) सद्भावी आवश्यकता
- (द) अतिधारण

Que. Which of the following act is not ground for eviction of tenant

under the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961?

- (a) Nuisance
- (b) Substantial damage
- (c) Bonafide requirement
- (d) Holding over
- प्र.क्र. 84 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 2 (ङ) के अंतर्गत् निम्नलिखित में से कौन ''कुटुम्ब का सदस्य'' नहीं है ?
  - (अ) चाचा की पत्नी
  - (ब) भाई का पुत्र
  - (स) अविवाहित बहन
  - (द) विवाहित पुत्री

Que. Who is not a "member of the family" Under Section 2 (e) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961?

- (a) Paternal uncle's wife
- (b) Brother's son
- (c) Unmarried sister
- (d) Married daughter
- प्र.क्र. 85 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत् यदि अभिधारी भाड़े पर लिये गये स्थान के संबंध में भू स्वामी के स्वामित्व से इंकार करता है और स्वयं का स्वामित्व दर्शित करता है तो यह अभिधारी की बेदखली का आधार होगा —
  - (अ) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12(1)(ख) के अंतर्गत
  - (ब) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12(1) (ग) के अंतर्गत
  - (स) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12(1) (घ) के अंतर्गत
  - (द) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अभिधारी की बेदखली का कोई आधार नहीं है।

Que. Under the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961, if a tenant denies the title of the landlord of the accommodation let for rent and claims his title, it shall be a ground for eviction -

- (a) under Section 12(1) (b) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961.
- (b) under Section 12(1) (c) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961.

- (c) under Section 12(1) (d) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961.
- (d) There is no ground for eviction of tenant under the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961.

#### **Medical Jurisprudence**

प्र.क्र.86 निम्नलिखित में से मृत्यु—पूर्व जलने और मृत्यु—पश्चात् जलने के मध्य विभेद क्या हैं ?

- (अ) वेसिकेशन
- (ब) रिपेरेटिव प्रक्रिया
- (स) लाल रेखाएं
- (द) उपरोक्त सभी

Que. Which of the following are differences between Ante-Mortem burns and Post-Mortem burns?

- (a) Vesication
- (b) Reparative process
- (c) Lines of redness
- (d) All of the above

प्र.क्र.८७ "अल्गोर मोर्टिस" है ?

- (अ) मृत्यु के बाद शरीर का उण्डा होना।
- (ब) मृत्यु के बाद शरीर की मांसपेशियों का कठोर होना।
- (स) मृत्यु के बाद त्वचा का रंग बैंगनी-नीला पड़ना।
- (द) केवल (ब) और (स)

Que. 'Algor Mortis' is?

- (a) Cooling of body after death.
- (b) Stiffening of body muscles after death.
- (c) Purplish-blue coloration of skin after death.
- (d) Only (b) and (c)

प्र.क्र.88 निम्न में से कौनसा परीक्षण ''टारगेट स्टीम्यूली'' पर आधारित है :--

(अ) डी.एन.ए. प्रोफाइल टेस्ट

लाइ डिटेक्टर टेस्ट

(ब)

	(स)	नारको एनालिसिस टेस्ट
	(द)	ब्रेन मैपिंग टेस्ट
Que.	Which of the following test is based on "target stimuli":-	
	(a)	DNA profile test
	(b)	Lie detector test
	(c)	Narco analysis test
	(d)	Brain mapping test
प्र.क्र.८९	वे विष	, जो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, कहलाते हैं :
	(अ)	सोमनीफेरस विष
	(ब)	ओमनीफेरस विष
	(स)	एमनीफेरस विष
	(द)	उपरोक्त में से कोई नहीं
Que.	Those poisons, which effect the central nervous system, are called:-	
	(a)	Somniferous Poisons
	(b)	Omniferous Poisons
	(c)	Amniferous Poisons
	(d)	None of the above
प्र.क्र.90	एसिड	के द्वारा कारित क्षति को कहा जाता है।
	(अ)	मैकेनिकल इंजुरी
	(ब)	थर्मल इंजुरी
	(स)	कैमिकल इंजुरी
	(द)	उपरोक्त सभी
Que.	An injury caused by acid is called	
	(a)	Mechanical injury
	(b)	Thermal injury
	(c)	Chemical injury
	(d)	All of the above

#### The Protection Of Children from Sexual Offences Act, 2012

- प्र.क्र.91 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन किन्हीं अपराधों के लिये किसी बालक के विरूद्ध कोई "मिथ्या परिवाद" या "मिथ्या सूचना" के लिये अधिकतम दण्ड है
  - (अ) ऐसा कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना से या दोनों से।
  - (ब) ऐसा कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना से या दोनों से।
  - (स) ऐसा कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माना।
  - (द) ऐसा कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माना।
- Que. The maximum punishment for "False complaint" or "false information" made against a child, in any of the offences under The Protection Of Children from Sexual Offences Act, 2012 is -
  - (a) imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both.
  - (b) imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both.
  - (c) imprisonment which may extend to 1 year and fine.
  - (d) imprisonment which may extend to 3 years and fine.
- प्र.क्र.92 किसी बालक पर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, यदि बालक की आयु —
  - (1) 7 वर्ष की हो।
  - (2) 12 वर्ष की हो।
  - (3) 14 वर्ष की हो।
  - (4) 16 वर्ष की हो।
  - (अ) केवल (1)
  - (ब) केवल (2)
  - (स) केवल (1) एवं (2)
  - (द) उपरोक्त सभी
- Que. Penetrative sexual assault on a child becomes aggravated penetrative sexual assault, if the age of child is -
  - (1) 7 years.
  - (2) 12 years.
  - (3) 14 years.
  - (4) 16 years.
  - (a) Only (1)

- (b) Only (2)
- (c) Only (1) and (2)
- (d) All of the above.
- प्र.क्र.93 बालकों के लिये मैत्रीपूर्ण न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित निर्णयों में से कौन—सा महत्वपूर्ण है ?
  - (अ) निपुण सक्सेना एवं एक अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2019) 2 एससीसी 703
  - (ब) सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2023) 1 एससीसी 289
  - (स) सुरिन्दर सिंह देशवाल उर्फ कर्नल एस. एस. देशवाल एवं अन्य बनाम वीरेन्द्र गांधी एवं एक अन्य (2020) 2 एससीसी 514
  - (द) चन्नु लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 12 एससीसी 438
- Que. Which of the following judgments is important for setting up of Child friendly Court?
  - (a) Nipun Saxena and Another vs Union of India and others, (2019) 2 SCC 703
  - (b) Sukhpal Singh Khaira Vs State of Punjab (2023) 1 SCC 289
  - (c) Surinder Singh Deswal Alias Colonel S.S. Deswal and Others Vs Virender Gandhi and Another (2020) 2 SCC 514
  - (d) Channu Lal Verma Vs The State of Chhattisgarh (2019) 12 SCC 438
- प्र.क्र.94 किस मामले में यह अवधारित किया गया है कि एक व्यक्ति, जिसने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन कोई अपराध किया है, दावा करता है कि वह अपराध घटित होने की दिनांक को एक बालक था और जांच में यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति ऐसा अपराध घटित होने की दिनांक को एक बालक था तब न्यायालय को ऐसे बालक को समुचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेजना होगा और यह भी कि यदि न्यायालय द्वारा कोई दण्डादेश अधिरोपित कर दिया गया है, तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
  - (अ) एक्स वाय जेड एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (2021) 16 एससीसी 179
  - (ब) करन उर्फ फातिया विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2023) 5 एससीसी 504
  - (स) गंगाधर नारायण नायक विरूद्ध कर्नाटक राज्य (2022) 12 एससीसी 72
  - (द) उत्तर प्रदेश राज्य विरूद्ध सोनू कुशवाह (2023) 7 एससीसी 475
- Que. In which case it has been held that a person who has committed

an offence under the Protection Of Children from Sexual Offences Act, 2012, claims that he was a child on the date of commission of offence and if it is found in the inquiry that such person was a child on the date of commission of such offence then the Court is required to forward the child to the Juvenile Justice Board for passing appropriate orders and further if any sentence has been imposed by the Court, the same shall be deemed to have no effect.

- (a) XYZ and Others Vs State of Madhya Pradesh and Another (2021) 16 SCC 179
- (b) Karan @ Fatiya Vs State of Madhya Pradesh (2023) 5 SCC 504
- (c) Gangadhar Narayan Nayak Vs State of Karnataka (2022) 12 SCC 72
- (d) State of Uttar Pradesh Vs Sonu Kushawaha (2023) 7 SCC 475

प्र.क्र.95 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, की किस धारा के अन्तर्गत, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट करने या उस पर कोई टीका—टिप्पणी करने के लिए दण्ड उपबंधित किया गया है —

- (अ) धारा 20
- (ब) धारा 22 (2)
- (स) धारा 23 (3)
- (द) धारा 23 (4)

Que. Under which Section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, punishment for making any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information, is provided -

- (a) Section 20
- (b) Section 22 (2)
- (c) Section 23 (3)
- (d) Section 23 (4)

## The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

- प्र.क्र.96 निम्न में से किस प्रकरण में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने ''विधि का उल्लंघन करने वाले बालक'' द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की पोषणीयता के संबंध में विचार किया है ?
  - (अ) अनिरूद्ध खहूरिया विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य आई एल आर (2020) एम पी 746
  - (ब) बुन्देल सिंह लोधी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2021 (2) एम पी एल जे 323
  - (स) अंकेश गुर्जर उर्फ अंकित गुर्जर विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य, 2021 (1) एम पी एल जे (क्रिमिनल) 403
  - (द) विजय एवं एक अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य, 2020 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4136
- Que. In which of the following cases, the Division Bench of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh has considered the maintainability of an anticipatory bail application filed by "a child in conflict with law"?
  - (a) Aniruddh Khehuriya Vs State of Madhya Pradesh ILR (2020) MP 746
  - (b) Bundel Singh Lodhi Vs State of Madhya Pradesh 2021 (2) MPLJ 323
  - (c) Ankesh Gurjar @ Ankit Gurjar vs State of Madhya Pradesh, 2021 (1) MPLJ (Cri) 403
  - (d) Vijay and Another Vs State of Madhya Pradesh 2020 CriLJ 4136
- प्र.क्र.97 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन ''जध् ान्य अपराध'' के अंतर्गत् ऐसे अपराध आते हैं, जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्ड —
  - (अ) न्युनतम तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है।
  - (ब) न्यूनतम पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है।
  - (स) न्यूनतम सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है।
  - (द) सात वर्ष तक के कारावास का है।
- Que. Under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 'heinous offence' includes the offences for which the punishment under the Indian Penal Code, 1860 or any other law for the time being in force is?
  - (a) minimum imprisonment for three years or more.

- (b) minimum imprisonment for five years or more.
- (c) minimum imprisonment for seven years or more.
- (d) imprisonment upto seven years.

#### प्र.क्र.98 निम्न में से कौनसा सही नहीं है ?

- (अ) विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालक को संप्रेक्षण गृह में रखा जा सकेगा।
- (ब) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को पोषण देखरेख में रखा जा सकेगा।
- (स) 18 वर्ष के अधिक आयु का व्यक्ति, जो जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या दोषसिद्ध ठहराया गया है, को सुरक्षित स्थान में रखा जा सकेगा।
- (द) देखरेख व संरक्षण की आवश्यता वाले बालकों को विशेष गृह में रखा जा सकेगा।

## Que. Which of the following is not correct?

- (a) Child alleged to be in conflict with law may be placed in observation home.
- (b) The children in need of care and protection may be placed in foster care.
- (c) Person above the age of eighteen years, who is accused of or convicted for committing a heinous offence may be placed in place of safety.
- (d) The children in need of care and protection may be placed in special homes.

## Chapter 11 of The Information Technology Act, 2000

#### प्र.क्र.99 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 77—क के संबंध में कौनसा कथन गलत है ?

- (अ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध का शमन सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
- (ब) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध का शमन किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
- (स) देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अपराध का शमन नहीं किया जा सकता।
- (द) अठारह वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किए गए अपराध का शमन नहीं किया जा सकता।

- Que. Which of the following statements is incorrect relating to Section 77-A of the Information Technology Act, 2000?
  - (a) A court of competent jurisdiction may compound offences under the Information Technology Act, 2000.
  - (b) Any court may compound offences under the Information Technology Act, 2000.
  - (c) An offence affecting the socio economic conditions of the country cannot be compounded.
  - (d) An offence committed against a child below the age of eighteen years or a woman cannot be compounded.

## प्र.क्र.100 गोपनीयता व एकांतता भंग के लिये क्या शास्ति प्रावधानित है ?

- (अ) ऐसा कारावास जिसकी अविध दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों।
- (ब) ऐसा कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो पांच लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों।
- (स) ऐसा कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों।
- (द) ऐसा कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो पांच लाख रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों।

# Que. What penalty is prescribed for breach of confidentiality and privacy?

- (a) Imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.
- (b) Imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees or with both.
- (c) Imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.
- (d) Imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five lakh rupees or with both.